

निर्णय लेने प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली कार्यपद्धति, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही भी समाविष्ट है

The Procedure Followed in the Decision Making Process, including Channels of Supervision and Accountability:

यह संस्थान, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का एक अधीनस्थ कार्यालय है और प्रशासन के संबंधित कार्य सी.सी.एस. के तहत प्रचलित नियमानुसार और सरकार के समय-समय पर जारी आदेश/निर्देशानुसार किया जाता है। विभागीय प्रमुख की शक्तियों के प्रत्यायोजन की सीमा तक, निदेशक अपने पास निहित शक्तियों के अनुसार निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी है। इससे परे मामले उच्च अधिकारी को भेजे जाते हैं।

The Institute is a subordinate office of the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, New Delhi & the transaction of work with regard to Administration is done as per the prevailing rules under CCS and in accordance with Government Orders / Instructions issued from time to time. The Director is the final authority for making decisions to the extent of Delegation of the powers of Departmental Head as per the powers vested upon him. Beyond these matters are referred to the higher authority.

संस्थान के निदेशक संस्थान में लागू किए जाने वाले निर्देश/आदेश जारी करते हैं, संबंधित विभागाध्यक्ष सेवाओं के प्रावधान में शैक्षणिक गतिविधियों और अनुसंधान में इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। पुनर्वास अनुकर्ता अनुशासन संबंधी हस्तक्षेपों एवं सेवाओं को संस्थान के उद्देश्यों के ढांचे के भीतर लागू करने के लिए निदेशक एवं लाभार्थियों के प्रति जवाबदेह होंगे।

The Director of the Institute Issues Instructions / Orders to be implemented in the Institute and the respective Head of Departments is responsible to carry out the same in the provision of Services, Academic activities and Research. The rehabilitation facilitator will be accountable to the director and beneficiaries for implementing disciplinary interventions and services within the framework of the institution's objectives.

प्रशासनिक एवं वित्तीय निर्णय के लिए / For Administrative & financial decision –

प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, अपर निदेशक एवं निदेशक के स्तर पर इस प्रक्रिया की जांच शामिल है। वित्तीय निर्णय में इस संस्थान के निदेशक को प्रदत्त शक्तियों के अनुसार संस्थान स्तर पर लेखाकार, डी.डी.ओ, अपर निदेशक और निदेशक शामिल होते हैं, अन्यथा इसे डी.जी.एच.एस. को संदर्भित किया जाता है और निर्णय मंत्रालय के आई.एफ.डी. के परामर्श से लिया जाता है।

The process involves scrutiny at the level of Administrative Officer, Medical Officer, and Additional Director & Director. Financial decision involves Accountant, DDO, Additional Director & Director, at the Institute level as per the power vested upon to the Director of this Institute, otherwise the same is referred to the DGHS & the decision is taken by them in consultation with IFD of the Ministry.

खरीद संबंधी निर्णयों के लिए / For decisions regarding purchase : –

- (क) इसे अनुवीक्षण समिति → तकनीकी विशिष्टता समिति → सामान्य खरीद समिति/ सामग्री और आपूर्ति समिति / सूचना और प्रौद्योगिकी समिति (कंप्यूटर और संबंधित वस्तुओं की खरीद के लिए) / मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए समिति की सिफ़ारिश के पश्चात → GeM समिति को भेजा जाता है → यदि GeM पोर्टल पर उक्त वस्तु उपलब्ध है, तो GeM द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार GeM पोर्टल के माध्यम से इसकी खरीदी की जाती है → यदि उपलब्ध नहीं है, तो GeM समिति द्वारा कस्टम बोली के माध्यम से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने की सिफ़ारिश की जाती है → कस्टम बोली के बाद, उपयुक्त खरीद वस्तुओं की उपलब्धता पर → तकनीकी मूल्यांकन समिति/क्रय अनुमोदन समिति द्वारा पुष्टि की जाती है → निदेशक की मंजूरी के पश्चात

- सबसे कम बोली लगाने वाले बोलीदाता से वस्तुओं की खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाती है / The same are routed through Screening Committee/Technical Specification Committee/ General Purchase Committee / GPC for Material & Supplies Committee/ Information & Technology Committee (for purchase of computer and related item) / Committee for purchase of Machinery & equipment's → followed through GeM Committee → thorough search in the GeM Portal, if available, purchase through GeM Portal as per the laid down procedure by GeM → If the said item is available on GeM portal, it is procured through GeM portal as per the procedure prescribed by GeM → If not available, the process of procurement through Custom Bid is initiated by GeM committee. → On Availability of suitable procurement items post customised bid → confirmation by the Technical Evaluation Committee/Purchase Approval Committee → approval of the Director → purchase of items from the lowest bidder is processed.
- (ख) निदेशक की मंजूरी के पश्चात पुस्तकालय, पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद और पुस्तकालय से संबंधित अन्य मामलों के लिए, "गुड ऑफिस समिति" के नियमों का पालन करता है / For purchase of books and journals, and other Library related matters, the Library follows Good Office's Committee rules with the approval of the Director.
- (ग) मालिकाना और एकल कोटेशन वस्तुओं को, जिसके लिए डीजीएचएस से अनुमोदन प्राप्त किया गया है, छोड़कर अन्य खरीदी के लिए अंतिम मंजूरी निदेशक के पास है / Final approval for the purchase lies with the Director except for the proprietary and single quotation items for which approval is obtained from DGHS.

शैक्षणिक संबंधी निर्णय के लिए / For academic related decision : –

- (क) संस्थान विभिन्न व्यावसायिक परिषदों (एन.एम.सी, आर.सी.आई., ओ.टी-पी.टी काउंसिल), एम.यू.एच.एस. (संबद्ध विश्वविद्यालय) द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों और समय-समय पर उनके द्वारा जारी आदेशों और कार्यालय ज्ञापन का पालन करता है / The Institute follows the rules and regulations laid down by the different professional councils (NMC, RCI, OT-PT Council), MUHS (affiliating University) & orders and office memorandum released by them from time to time.
- (ख) पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल पाठ्यक्रम एम.डी (पी.एम.आर) और अंडर ग्रेजुएट बी.पी.ओ. पाठ्यक्रम के लिए छात्रों का चयन एन.ई.ई.टी. (PG/UG) प्रवेश परीक्षा के माध्यम से, 50% सीटें अखिल भारतीय कोटा एवं 50% डी.एम.ई.आर. महाराष्ट्र, कोटा के तहत किया जाता है / For Post Graduate Medical Courses MD (PMR) & for under graduate BPO course the students are selected through NEET(PG/UG) entrance tests, 50% seats under All India quota and 50% by D.M.E.R, Maharashtra.
- (ग) एम.पी.ओ, एम.पी.टी. और एम.ओटी.एच. और फेलोशिप पाठ्यक्रम (पी.टी, ओ.टी और पी.एम.आर.) के लिए 50% सीटें संस्थान के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं 50% डी.एम.ई.आर, महाराष्ट्र के द्वारा भरी जाती हैं / For M.P.O., M.P.T. & M.O.T.H. & Fellowship Courses (P.T, O.T & P.M.R.) 50% seats are filled through Institute Entrance test and 50% by D.M.E.R. Maharashtra.
- (घ) संस्थान में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन निर्धारित विश्वविद्यालय मानदंडों एवं दिनदर्शिका के तदनुसार किया जाता है। चयन प्रक्रिया में विज्ञापन एवं प्रवेश परीक्षा शामिल है। परिणाम घोषित होने के बाद, निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है तदपश्चात संबंधित श्रेणी में तैयार की गई मेरिट (श्रेणी) सूची के आधार पर अनंतिम प्रवेश दिया जाता है। संबद्ध मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए इस प्रक्रिया में लगभग 2 महीने लगते हैं। पात्रता, संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती है / The selection of students for various courses conducted in the institute is done according to the

prescribed university norms and calendar. The selection process consists of advertisement and entrance test. After the result is declared, the prescribed procedure is followed and then provisional admission is done on the basis of merit list prepared in the respective category. For allied medical courses this process takes around 2 months. Eligibility is provided by the concerned university.

- (ड) चयन प्रक्रिया में विभागाध्यक्ष/व्याख्याता/शिक्षण स्टाफ, शैक्षणिक प्रभारी और निदेशक शामिल हैं। सभी विभागों के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया के दौरान, यदि आवश्यक हो, तो विभिन्न व्यावसायिक परिषदों (एन.एम.सी, आर.सी.आई, ओ.टी. - पी.टी परिषद, एम.यू.एच.एस- संबद्ध विश्वविद्यालय) द्वारा समय-समय पर जारी आदेश और कार्यालय ज्ञापन, निर्धारित दिशानिर्देशों/नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए, निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा और बैठकें आयोजित की जाती हैं / The selection process involves the Head of the Department/Lecturer/Teaching Staff, Academic In-charge and Director. During the decision making process for all departments, if necessary, various professional councils (N.M.C, R.C.I, O.T – P.T council, M.U.H.S. - affiliated university) prescribed guidelines/rules and regulations, orders and office memorandum issued by them from time to time, are considered during discussions and meetings on important issues to arrive at conclusions.

हिन्दी (राजभाषा) के कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय हेतु / For decision regarding implementation of Hindi (official language) : -

- (क) समय-समय पर भारत सरकार के निर्देशानुसार इसे क्रियान्वित किया जाता है / The same are implemented as per the direction of the Government of India from time to time.

अन्य विभाग के संबंध में निर्णय हेतु / For decision regarding other department : -

- (क) संस्थान की नीति के अनुसार और समय-समय पर निदेशक द्वारा विभिन्न विभागों को जारी किए गए आदेशों/कार्यालय ज्ञापन के अनुसार निर्णय लिया जाता है / Decisions are as per the Institute policy, orders/office memorandum which are issued by the Director to the different departments from time to time.